न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 384/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

1. पंकज पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. नितिन कुमार पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– **वादीगण**

बनाम्

1. बीरबलराम पुत्र श्री ठाकरराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राय सिंह पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रोहित पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कमला पुत्री श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. विमला पुत्री श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. [illegible] पुत्री श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– **प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :–
वादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, श्री गगन मिढ़ा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः– 22.07.2024

वादीगण पंकज व अन्य ने प्रतिवादीगण बीरबलराम वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण का दादा, प्रतिवादी सं. 2 वादीगण का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादीगण का चाचा, प्रतिवादी सं. 4 वादीगण का चचेरा भाई, प्रतिवादी सं. 5 व 6 वादीगण की बुआ, प्रतिवादी सं. 7 वादीगण की चचेरी बहिन है, जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.795 है. कृषि भूमि, वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.289 है. कृषि भूमि तथा वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 3.289 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादीगण [illegible] में निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से राज[illegible] दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के अन्य [illegible] के [illegible] में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च [illegible] कारण वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य विवाद हो गया व [illegible] में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करके [illegible] जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 5 ता 7 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 4 के मध्य हुए बंटवारानुसार कर

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:25 IS
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिया है। अब प्रतिवादी सं. 1, 5 ता 7 का उक्त कृषि भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 ता 4 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैः-

(क) **वादीगण पंकज पुत्र श्री राय सिंह एवं मितिन कुमार पुत्र श्री राय सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	16ता25/0.253 है.प्र.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 2 राय सिंह पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	6/0.102 है.
		कुल 0.102 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्यत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	11ता15/0.253 है.प्र.
147/137	62	3,4,5/0.253 है.प्र., 6/0.102 है., 7ता10/0.101 है.प्र.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 3 विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/137	63	11,12,19ता22/0.253 है.प्र.
147/137	62	18,23/0.253 है.प्र.
		कुल 2.024 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	19ता22/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 4 रोहित पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	6/0.151 है.
		कुल 0.151 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	11ता15/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	6/0.151 है., 7ता10/0.152 है.प्र.
		कुल 0.759 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है में वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा पाने व उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:2
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

जिसमें वादीगण का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा तदनुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर रीडर की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 7 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 8 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 के खाता सं. 60/37, 76/37 व 87/37 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादीगण में वादी सं. 1 का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 संयुक्त खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.795 है. कृषि भूमि, वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि तथा वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 7 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) **वादीगण पंकज पुत्र श्री राय सिंह एवं नितिन कुमार पुत्र श्री राय सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण बुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	16ता25/0.253 है.प.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 2 राय सिंह पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी बुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	6/0.102 है.
		कुल 0.102 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	11ता15/0.253 है.प.
147/137	62	3,4,5/0.253 है.प., 6/0.102 है., 7ता10/0.101 है.प.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

लगातार ---4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:25
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(35)

(ग) प्रतिवादी सं. 3 विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/137	63	11,12,19ता22/0.253 है.प्र.
147/137	62	18,23/0.253 है.प्र.
		कुल 2.024 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	19ता22/0.253 है.प्र.
		कुल 1.012 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 4 रोहित पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	6/0.151 है.
		कुल 0.151 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	11ता15/0.253 है.प्र.
		कुल 1.265 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
147/137	62	6/0.151 है., 7ता10/0.152 है.प्र.
		कुल 0.759 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.795 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.530 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 2 को 0.102 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.012 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.151 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 2.024 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.530 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:25 IS
Reason: SelfAttested

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही [illegible] सल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी [illegible] खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील [illegible] कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
सहायक कलेक्टर (प्र)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(36)

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 384/2024

पंकज पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

नितिन कुमार पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादीगण

बनाम्

1. बीरबलराम पुत्र श्री ठाकरराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. राय सिंह पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. रोहित पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. कमला पुत्री श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. विमला पुत्री श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शालु पुत्री श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 22.07.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़, श्री गगन मिढ़ा** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) **वादीगण पंकज पुत्र श्री राय सिंह एवं नितिन कुमार पुत्र श्री राय सिंह समस्त जाति जाट निवासीगण नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	16ता25/0.253 है.प्र.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 2 राय सिंह पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	6/0.102 है.
		कुल 0.102 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
146/137	61	11ता15/0.253 है.प्र.
147/137	62	3,4,5/0.253 है.प्र., 6/0.102 है., 7ता10/0.1 है.प्र.
		कुल 2.530 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.08.06 13:37:25
Reason: SelfAttested

(ग) **प्रतिवादी सं. 3 विनोद कुमार पुत्र श्री बीरबलराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-**

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं. मु.नं. कि.नं.

लगातार --2

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

(37)

148/137 63 11,12,19ता22/0.253 है.प्र.
147/137 62 18,23/0.253 है.प्र.
कुल 2.024 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
147/137 62 19ता22/0.253 है.प्र.
कुल 1.012 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 4 रोहित पुत्र श्री विनोद कुमार जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
146/137 61 6/0.151 है.
कुल 0.151 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
147/137 62 11ता15/0.253 है.प्र.
कुल 1.265 है. कृषि भूमि

चक 2 पी.टी.पी. खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74
प.नं. मु.नं. कि.नं.
147/137 62 6/0.151 है., 7ता10/0.152 है.प्र.
कुल 0.759 है. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा वादीगण के दादा प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 60/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.795 है. कृषि भूमि में से वादीगण को 2.530 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब., प्रतिवादी सं. 2 को 0.102 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 3 को 1.012 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.151 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 2 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 76/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 2.024 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 1.265 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के चाचा प्रतिवादी सं. 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 पी.टी.पी. के खाता सं. 87/37 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 3.289 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 2.530 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 4 को 0.759 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X...... निल ......X...... बाबत् ......X...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक .... जारी किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.08.06 13:37:25
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया